सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 178 राँची ,सोमवार

8 वैशाख 1936 (श०)

28 अप्रैल, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 अप्रैल, 2014

उपायुक्त, जामताड़ा का पत्रांक 288/स्था0, दिनांक 28.09.2013

अनुमण्डल कार्यालय, जामताड़ा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 322/सा0, दिनांक 05.06.2013

अंचल कार्यालय, नारायणपुर का पत्रांक 197, दिनांक 13.06.2013 एवं पत्रांक 447, दिनांक 07.12.2013

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक 6381, दिनांक 15.07.2013; पत्रांक 11342, दिनांक 25.11.2013

संख्या-5/आरोप-1-104/2014 का.-3719--श्री विभूति मण्डल, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला- गोड्डा), के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, नारायणपुर, जामताड़ा के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 288/स्था०, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है। श्री मण्डल के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. बद्री प्रसाद मंडल बनाम सोलह आना रैयत के मामले में दो नामांतरण वाद प्रारम्भ किया गया। प्रथम वाद को अंचल अधिकारी, श्री विभूति मंडल द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा दूसरे वाद में उसी नामांतरण वाद को उनके द्वारा स्वीकृत किया गया। यह अंचल अधिकारी, नारायणपुर के स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अगर प्रथम पत्र के नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया था तो उसका निष्पादन संबंधित अपीलीय न्यायालय में किया जाना था, न कि पुनः दूसरा अभिलेख खोलकर निर्णय बदलना चाहिए था।

2. श्री विभूति मंडल, अंचल अधिकारी, नारायणपुर द्वारा राजस्व नियम प्रक्रिया को अनदेखी करते हुए एक ही नामांतरण के एक अभिलेख में नामांतरण स्वीकृत तथा दूसरे में अस्वीकृत किया गया है। यह उनके स्वेच्छारिता का द्योतक है।

इस संबंध में उपायुक्त के ज्ञापांक- 649/गो०आ०, दिनांक 12 जून, 2013 एवं 662/गो0 स्था0, दिनांक 17 जून, 2013 के द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री मंडल द्वारा जवाबी पत्रांक- 197/रा०, दिनांक 13 जून, 2013 एवं 206, दिनांक 21 जून, 2013 को दिया गया, जो लगाये गये आरोप का खंडन नहीं करता है।

3. राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-778, दिनांक 6 मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त पत्र जिसमें अंचल अधिकारी, विभूति मंडल एवं अंचल निरीक्षक, श्री विशेष दूबे के द्वारा पैसा लेकर मृत व्यक्ति के नाम पर प्रधानी पट्टा को सम्पुष्ट करने से संबंधित उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच परियोजना निदेशक, आई० टी० डी० ए०, जामताड़ा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा से संयुक्त रूप से जाँच कराई गई। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री मंडल द्वारा मृत व्यक्ति के नाम पर एवं अन्य प्रधान के नाम पर प्रधानी पट्टा की सम्पुष्टि हेतु अभिलेख अपने जाँच प्रतिवेदन के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अग्रसारित किया एवं पट्टा सम्पुष्टि हेतु दाखिल आवेदन में मृत व्यक्ति को जीवित दिखलाया गया। उपर्युक्त तीनों आरोप से स्पष्ट है कि उनके द्वारा राजस्व प्रक्रिया के नियम के विपरीत अपने स्वेच्छाचारिता से कार्य किया गया है, जो इनके मनमाने कार्यशैली का द्योतक है तथा उनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों से अच्छे तरीके से वार्ता न करना अनुशासनहीनता का परिचायक है।

4. अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, नगर निकाय चुनाव मिहिजाम ने अपने पत्रांक-370/सा0, दिनांक 17 जून, 2013 द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित किया है कि ये अक्सर बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहते है तथा मुख्यालय में आवासन नहीं करते है। देवघर स्थित आवास से आना-जाना करते है तथ निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी करना एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ सम्पर्क करने पर दुर्व्यवहार पूर्वक बातें करना उनके अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।

उक्त आरोपों के संबंध में मामले की जाँच उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा से संयुक्त रूप से करायी गयी।

अनुमण्डल कार्यालय, जामताड़ा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 322/सा०, दिनांक 5 जून, 2013 में श्री मण्डल को दोषी प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-11342, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 द्वारा श्री मण्डल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मण्डल द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण पत्रांक- 447, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है।

श्री मण्डल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री मण्डल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

श्री मण्डल के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए इन्हें लघु दण्ड देने का निर्णय लिया गया है एवं तद्नुसार निम्नलिखित सजा अधिरोपित की जाती है:-

(i) निन्दन।

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विभूति मण्डल, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 178–50 ।